



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-23072026-274708
CG-MP-E-23072026-274708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3743]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948

No. 3743]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण—प्रथम)]

अधिसूचना

भोपाल, 25 मई, 2026

का.आ. 3906(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में विशेष रेल परियोजना इटारसी—भोपाल—बीना खण्ड (236.97 कि.मी.) नई चौथी रेल लाईन के निर्माण हेतु के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन एवं संचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभाग— गौहरगंज, जिला रायसेन म.प्र. को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आपेक्षों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझ करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो अपेक्षों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखाकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग गौहरगंज व उप मुख्य अभियंता, निर्माण—प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील के अंतर्गत मण्डदेहरी ग्राम में, इटारसी-भोपाल-बीना खण्ड (236.97 कि.मी.) नई चौथी रेल लाईन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की जाने वाली सरचना सहित एवं सरचना रहित भूमि का संक्षेप विवरण।

क्रं.	अर्जनाधीन खसरा नम्बर	रेलवे द्वारा भूमि का कुल रकवा (हेक्टेयर में)	राजस्व रिकार्ड अनुसार कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (निजी/शासकीय)	भूमि की प्रकृति (कृषि/बंजर)	भूमि (सिंचित/असिंचित)
1	4/3	3.196	3.1890	0.154	निजी	आवासीय	सिंचित
कुल रकवा हेक्टेयर में		3.196	3.189	0.154			

[कंप्यूटर न.330954 फा.सं – पमरे- बीपीएल सीओ इंजि (एमआईएससी)/82/2025-ओ/ओ डीवायसीड/सी-1/ बीपीएल]

अनिरुद्ध मोहन कौशल, मुख्य अभियंता निर्माण- III मुख्या

MINISTRY OF RAILWAYS

[West Central Railway (Con-I)]

NOTIFICATION

Bhopal, the 25th May, 2026

S.O. 3906(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989(as Amendment Act 2008, the Central Government, After being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of special Railway project construction of Etarsi-Bhopal-Bina Section (236.97 Km) 4th New Line in Raisen District of the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20(d) of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Officer and Competent Authority and Sub-Divisional Officer(Revenue), Sub-Division-Goharganj, District Raisen, M.P. and shall set out there in the grounds there of and the Competent Officer shall afford the applicant an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and after hearing all such objection and making such further inquiry, if any, as the Competent Officer may deem necessary, may by order either allow or disallow the objection.

The order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20(d) of the said Act shall be final.

The plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the above mentioned office of the competent authority and the office of Sub-Divisional Officer (Revenue) Sub-Division Goharganj and Deputy Chief Engineer, (Con-1) west central railway, Bhopal

SCHEDULE

Brief details of land with or without structure to be acquired for the construction project of Etarsi-Bhopal-Bina Section (236.97 Km) 4th New Line in the state of Madhya Pradesh.

Village - Manddehri

Tehsil – Goharganj

District - Raisen

Sr. No.	Survey No.	Total area of Land	Total area of Revenue	Area of acquired Land	Type of Land private/Govt.	Nature of Land agricultural/fallow	Irrigated/Non-irrigated land
1	4/3	3.196	3.1890	0.154	Private	Commercial	Irrigated
Total Area in hec.		3.196	3.1890	0.154			

[(Computer No.330954 F.No.WCR-BPLCOENGG (Misc.)/82/2025-O/o Dy.CE/C-1/BPL)]

ANIRUDH MOHAN KAUSHAL, Chief Engineer, Construction-III/HQ